



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/08/11/2016/एफ.सी. //63

दिनांक: 19.07.2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

ऑनलाइन आवेदन संख्या— FP/RJ/Water/18810/2016

विषय: **Diversion of 4.0 ha. of forest land for laying of Drinking Water Pipeline under Borabas-Mandana Supply in favour of PHED Project Division, District- Kota, Rajasthan**

सन्दर्भ— अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक—
एफ140/2013/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/2243, दिनांक— 13.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित आनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक— 05.05.2017 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अति० प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 4.0 हे० वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 4.00 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
- (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।
5. पाइप हेतु खोदी गयी नाली में पाइप डालने के उपरान्त पुनः ठीक से मिट्टी भरान किया जायेगा।
6. पाइप लाइन के संरेखण (alignment) में बिना अनुमति कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जाएगी।
8. योजना के कार्यान्वयन में वन एवं वन्य प्राणियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा तथा NBWL की Standing committee द्वारा परियोजना की स्वीकृति के लिए अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
10. वन भूमि अपयोजन की अंतिम स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्गत होने के पश्चात् ही राज्य सरकार द्वारा वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में विमुक्त की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान
4. उप वन संरक्षक, कोटा (वन्यजीव), मुकन्दरा राष्ट्रीय पार्क, कोटा, राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0, नियर चंबल गार्डन, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान।
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)